जसदीप सिंह @जस्सू बनाम।

पंजाब राज्य

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 1584) 07 जनवरी, 2022

[संजय किशन कौल और एम**.** एम**.** सुंदरेश**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860 -एस. 304 भाग I और एस.34 – यह आरोप कि पीड़ित-मृतक को रात के समय आरोपी व्यक्तियों (ए 1 से ए 4) द्वारा गोली मार दी गई थी-ए 3 और ए 4 (अपीलकर्ता) घटना स्थल पर मौजूद थे और उन्होंने एक बयान दिया कि "अब आप क्या देख रहे हैं", इसके बाद, ए 1 ने अपनी जेब से एक बंदूक निकाली और मृतक को गोली मार दी-शिकायत में, मृतक के पिता (शिकायतकर्ता/पीडब्लू6) ने कोई बयान नहीं दिया कि ए 3 और ए 4 ने ए 1 को गोली मारने के लिए प्रोत्साहित किया-हालाँकि, अपने अतिरिक्त बयान में यू/एस।161 Cr.P.C. उन्होंने अपने बयान में सुधार करते हुए कहा कि ए 3 और ए 4 ने ए 1 को गोली चलाने के लिए उकसाया-निचली अदालत ने आई. पी. सी. की धारा 304 भाग 1 के तहत सभी आरोपी व्यक्तियों को यह मानते हुए दोषी ठहराया कि कोई पूर्वधारणा नहीं थी और घटना अचानक लड़ाई के अनुसरण में हुई थी-उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की-सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, ए 1 और ए 2 ने अपनी अपील दायर नहीं की-केवल ए 3 और ए 4 ने अपील दायर की-आयोजितःहालांकि पीडब्लू6 के साक्ष्य को खारिज नहीं किया गया था, दोनों अदालतों ने उनकी ओर से अतिशयोक्ति पाई-कई मौकों पर पीडब्लू6 ने अभियोजन के मामले में सुधार के लिए एक ठोस प्रयास किया-जहां तक ए 3 और ए 4 द्वारा दिए गए बयान का संबंध है, अगर ए 3 और ए 4 ने ऐसा बयान दिया था, तो उन्हें ए 1 के बजाय ए 2 को संबोधित करना चाहिए था क्योंकि ए 2 के पास पहले से ही एक बंदूक थी और ए 1 ने अपनी बंदूक केवल ए 3 और ए 4 द्वारा दिए गए बयान पर निकाली थी-यह मानने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि ए 3 और ए 4 को इस तथ्य के बारे में पता था कि ए 1 के पास उसके साथ बंदूक थी-घटना के समय सामान्य इरादा बनाया जा सकता है, हालांकि, उपलब्ध सबूत पर्याप्त नहीं हैं।34 ए 3 और ए 4 के खिलाफ आई. पी. सी. आकर्षित है-अभियोजन ने अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित नहीं किया है, जैसा कि ए 3 और ए 4 ने यू/एस के तहत आरोप लगाया है।34 आई. पी. सी.-इसलिए, निचली अदालत के फैसले की पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है।

दंड संहिता, 1860 -धारा 34-आई. पी. सी. की धारा 34 का आशय एक पक्ष के व्यक्तिगत सदस्यों के कार्यों में अंतर करने में कठिनाइयों को दूर करना है, एक सामान्य इरादे को आगे बढ़ाते हुए कार्य करना-एक विशेष परिणाम लाने की आपराधिक कार्रवाई में भाग लेने वाले व्यक्तियों के बारे में एक साथ जागरूक मन होना चाहिए-एक सामान्य इरादा तथ्य का प्रश्न है और "उक्त इरादे को आगे बढ़ाने के लिए" एक अधिनियम की भी आवश्यकता होती है-किसी को ठोस साक्ष्य की खोज करने की

आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह अदालत को संचयी मूल्यांकन पर एक निष्कर्ष पर पहुंचना है-यह केवल साक्ष्य का एक नियम है और इस प्रकार कोई ठोस अपराध पैदा नहीं करता है।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

ग

पकड़नाः**1.1** आई. पी. सी. की धारा **34** एक समान इरादे के अनुसरण में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति में किए गए अपराध का गठन करने वाले आपराधिक कार्य को लागू और आयात करके एक काल्पनिक कल्पना का निर्माण करती है।अदालत की संतुष्टि के लिए सामान्य इरादे को साबित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष पर है।साक्ष्य की गुणवत्ता पर्याप्त, ठोस, निश्चित और स्पष्ट होनी चाहिए।जब अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा **34** के दायरे में लाने के लिए पेश किए गए साक्ष्य के एक हिस्से पर विश्वास नहीं किया जाता है, तो शेष भाग की पर्याप्त सावधानी और सावधानी के साथ जांच करनी होगी, क्योंकि न्यायालय अभियुक्त पर लगाए गए प्रत्यावर्ती दायित्व के मामले को उस व्यक्ति के समान व्यवहार करके देख रहा है जिसने वास्तव में अपराध किया था।जो आवश्यक है वह सामान्य इरादे का प्रमाण है।इस प्रकार, सामान्य इरादे के बिना कोई अपराध हो सकता है, जिस मामले में आई. पी. सी. की धारा **34** आकर्षित नहीं होती है।**[**पारस **21** और **22] [658-**सी**-**एफ**]**

डी.

ई.

1.2.आई. पी. सी. की धारा **34** का उद्देश्य एक पक्ष के व्यक्तिगत सदस्यों के कार्यों को अलग करने में कठिनाइयों को दूर करना है, जो एक सामान्य इरादे को आगे बढ़ाते हुए कार्य करता है।एक विशेष परिणाम लाने की आपराधिक कार्रवाई में भाग लेने वाले व्यक्तियों का एक साथ सचेत मन होना चाहिए।इसके अस्तित्व के लिए एक सामान्य इरादा तथ्य का सवाल है और "उक्त इरादे को आगे बढ़ाने के लिए" एक कार्य की भी आवश्यकता है।किसी को ठोस साक्ष्य की खोज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह अदालत को संचयी मूल्यांकन पर एक निष्कर्ष पर पहुंचना है।यह केवल साक्ष्य का नियम है और इस प्रकार कोई ठोस अपराध पैदा नहीं करता है।आम तौर पर, शारीरिक रूप से किए गए अपराध में, ए की उपस्थिति

च

जी.

एच.

649

जस्दीप सिंह @जस्सू बनाम पंजाब राज्य ए

आई. पी. सी. की धारा **34** के तहत आरोपित अभियुक्त की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से उस मामले में जहां अभियुक्त को जिम्मेदार ठहराया गया कार्य उकसाने/उकसाने का कार्य है।हालांकि, अपवाद हैं, विशेष रूप से, जब एक अपराध में अलग-अलग समय और स्थानों पर किए गए विविध कार्य शामिल होते हैं।इसलिए इसे मामले-दर-मामले के आधार पर देखा जाना चाहिए।"आगे बढ़ना" शब्द भविष्य में प्रभाव पैदा करने में सहायता या सहायता के अस्तित्व को इंगित करता है।इस प्रकार, इसे एक उन्नति या पदोन्नति के रूप में माना जाना चाहिए।ऐसे मामले हो सकते हैं जहां सभी कार्य, सामान्य रूप से, आई. पी. सी. की धारा **34** के दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन केवल वे जो पर्याप्त संपर्क रखने वाले सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किए जाते हैं।जब न्यायालय इरादे की बात करता है तो यह प्रस्तावित अपराध के लिए आवश्यक किसी भी मौजूदा तथ्य की पर्याप्त जानकारी के साथ आपराधिकता में से एक होना चाहिए।इस तरह का इरादा उपरोक्त आवश्यक ज्ञान के साथ अपराध करने में सहायता, प्रोत्साहन, बढ़ावा और सुविधा प्रदान करने के लिए है।समान इरादे का अस्तित्व स्पष्ट रूप से अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि वह साबित करे।हालाँकि, एक अदालत को आई. पी. सी. की धारा **34** के तहत किसी व्यक्ति को फंसाने से पहले सबूतों का विश्लेषण और मूल्यांकन करना होता है। केवल एक सामान्य इरादा आई. पी. सी. की धारा **34** को आकर्षित नहीं कर सकता है, बिना आगे की कार्रवाई के।ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां एक व्यक्ति अपराध करने के लिए एक

सामान्य इरादा बनाने में सक्रिय भागीदार होने के बावजूद, वास्तव में बाद में इससे पीछे हट सकता है।बेशक, यह भी अदालत के विचार के लिए तथ्यों में से एक है।इसके अलावा, यह तथ्य कि आई. पी. सी. की धारा **34** के साथ पठित अपराध के लिए आरोपित सभी आरोपी अपराध के लिए उपस्थित हैं, खुद को या दूसरों को मना किए बिना एक प्रासंगिक परिस्थिति हो सकती है, बशर्ते कि एक पूर्व सामान्य इरादा विधिवत साबित हो।एक बार फिर, यह एक ऐसा पहलू है जिस पर अदालत द्वारा उसके सामने रखे गए साक्ष्य पर गौर करने की आवश्यकता है।बचाव पक्ष की ओर से ऐसे मामले में विशेष रूप से ऐसी याचिका दायर करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है जहां अदालत के समक्ष पर्याप्त सबूत उपलब्ध हों।**[**पारस **24-28] [658-H; 659-A-H]**

ग

डी.

ई.

च

2. पी. डब्ल्यू. **13** के साक्ष्य को अदालतों का समर्थन नहीं मिला।निचली अदालत, जिसे गवाहों के बयान पर ध्यान देने का लाभ मिला था, ने ठोस कारण बताते हुए प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर अविश्वास करने का फैसला किया।इस साक्ष्य को निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने भी सही ढंग से दरकिनार कर दिया था।पीडब्लू**13** की गवाही में बहुत सारी असंभवताएँ हैं।एक व्यक्ति जो जीवित था

जी.

एच.

50 कि. मी. दूर अभियुक्तों और उनके नामों को याद किया और हत्या करने की उनकी साजिश सुनी।उनके साक्ष्य को डी. डब्ल्यू. **1** के साक्ष्य द्वारा गलत साबित किया गया था, जो कोई और नहीं बल्कि उनके अपने चचेरे भाई थे, जिनके साथ वे प्रासंगिक समय पर रह रहे थे।अन्य भौतिक गवाह पी. डब्ल्यू. **6** और पी. डब्ल्यू. **10** हैं।पीडब्लू**10** ने पहले बयान दिए थे। यद्यपि मृतक का मित्र होने के बावजूद वह मुकर गया, लेकिन निचली अदालत ने उसके पहले के बयान को ध्यान में रखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई पूर्वकल्पना नहीं थी और इस प्रकार मामला हत्या के बजाय गैर इरादतन हत्या के तहत आएगा। हालाँकि पीडब्लू**6** के साक्ष्य को खारिज नहीं किया गया था, लेकिन दोनों अदालतों ने उनकी ओर से एक स्पष्ट अतिशयोक्ति पाई।कई मौकों पर पीडब्लू**6** ने अभियोजन के मामले में सुधार के लिए एक ठोस प्रयास किया।मृत्यु घोषणा पर उनके द्वारा दी गई गवाही, जो उनके द्वारा अपने पूरक बयान में डाला गया एक मामला था, जिसे बाद में अदालतों द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया था।इसका समर्थन चिकित्सा साक्ष्य द्वारा भी किया गया था।लड़ाई के संबंध में सबूत के दूसरे हिस्से को भी अदालतों द्वारा निपटाया गया था क्योंकि उपलब्ध सबूत से पता चलता है कि यह मृतक ही था जो करीब गया था, और आरोपी खुद को उसके आने की प्रतीक्षा में खड़ा नहीं कर रहे थे।इसलिए, दोनों अदालतों के उपरोक्त निष्कर्ष इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कि यह ऐसा मामला नहीं है जो आई. पी. सी. की धारा **301** भाग **I** के तहत सजा को आकर्षित करेगा, किसी भी विकृति से ग्रस्त नहीं है।उपरोक्त सी. आर. एल. को देखते हुए। **2021** का ए. **No.1586** खारिज कर दिया गया है।इस स्तर पर न्यायालय यह भी जोड़ने में जल्दबाजी करता है कि ए**2** का स्पष्ट कार्य अलग है और उसके द्वारा दायर किसी भी अपील के अभाव में, न्यायालय उसे बरी करने के उद्देश्य से कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता है।**[**पारस **32** और **33] [670-**ई**-**एच**; 671-**ए**-**सी**]3.** विचार के लिए एकमात्र अन्य मुद्दा अपीलार्थियों के मामले में आई. पी. सी. की धारा **34** का आवेदन है।यह घटना रात के समय हुई थी।यह सड़क पर हुआ।यदि ए**3** और ए**4** ने एक ही आवाज में ऐसा बयान दिया था, तो उन्हें ए**1** के बजाय ए**2** को संबोधित करना चाहिए था।**A2** के पास पहले से ही एक बंदूक थी और कहा जाता था कि **A1** ने केवल **A3** और **A4** द्वारा दिए गए बयान पर अपनी बंदूक निकाल ली थी।पी. डब्ल्यू. **6** के साक्ष्य पर अविश्वास करने में निचली अदालत के तर्क को, जैसा कि उसने बाद में अपने मामले में सुधार किया, इस बयान के लिए लागू किया जाना चाहिए कि ए**3** और ए**4** ने ए**1** को गोली चलाने के लिए कहा था।मान लीजिए, यह एक ए था

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

651

जस्दीप सिंह @जस्सू बनाम पंजाब राज्य ए

जैसा कि एक से अधिक अवसरों पर पीडब्लू**6** के साक्ष्य से देखा जा सकता है**,** पहले दिए गए बयान में सुधार।इस प्रकार**,** हमारे सुविचारित विचार में दोनों न्यायालयों को आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **34** के संबंध में पी**.** डब्ल्यू**. 6** के साक्ष्य पर अविश्वास करना चाहिए था।रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ए**3** और ए**4** को इस तथ्य के बारे में पता था कि ए**1** के पास बंदूक थी।अभियोजन पक्ष मुख्य रूप से पीडब्लू **13** के साक्ष्य पर ए**3** और ए**4** को फंसाना चाहता था।एक बार जब उक्त साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया गया**,** तो आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **34** के तहत ए**3** और ए**4** को दोषी ठहराने से पहले अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए थी। न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई कठिनाई नहीं है कि घटना के समय एक सामान्य इरादा बनाया जा सकता है।तथापि**,** उपलब्ध साक्ष्य यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि ए**3** और ए**4** के विरुद्ध आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **34** आकर्षित करती है**,** विशेष रूप से जब पी**.** डब्ल्यू**. 13** की गवाही को अदालतों का समर्थन नहीं मिला।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ए**3** और ए**4** द्वारा दिए गए बयान के अलावा**,** उन्हें फंसाने के लिए कोई अन्य सामग्री नहीं थी।अब**,** ए**3** और ए**4** द्वारा दिया गया कथन इस प्रकार हैः**"**अब आप क्या देख रहे हैं**? "**सवाल यह है कि क्या उक्त बयान आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **304** भाग **I** के तहत दंडनीय अपराध होगा। यह न्यायालय पहले ही इस तथ्य पर ध्यान दे चुका है कि यदि ए**2** ने ए**3** और ए**4** द्वारा दिए गए बयान के अनुसरण में मृतक पर गोली चलाई होती तो स्थिति अलग होती।यह संभव है कि उक्त बयान केवल मृतक पर हमला करने के लिए दिया गया हो।यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त है कि अभियोजन पक्ष ने आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **34** के तहत ए**1** द्वारा किए गए अपराध को प्रतिबिंबित करके ए**3** और ए**4** के खिलाफ अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित नहीं किया है। **[**पारस **34** और **35] [671-**डी**-**एच**; 672-**ए**-**सी**]**

ग

डी.

ई.

सुरेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2001) 3 एस. सी. सी. 673:[2001] 2

च

एससीआर **263;** लल्लन राय बनाम बिहार राज्य **(2003) 1** एससीसी

268 :[2002] 4 पूरक।एससीआर 188; छोटा अहिरवार बनाम एम. पी. राज्य। (2020) 4 एस. सी. सी. 126; रामविलास सिंह और

ओआरएस. वी.बिहार राज्य (1989) 3 एस. सी. सी. 605; कृष्णन और

एक अन्य बनाम केरल राज्य (1996) 10 एस. सी. सी. 508:[1996]

जी.

5 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 405;** सुरेंद्र चौहान बनाम एम**.** पी**.**

(2000) 4 एससीसी110:[2000] 2 एस. सी. आर. 515; गोपी नाथ @झल्लार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2001) 6 एस. सी. सी. 620:[2001] 1

पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 72;** रमेश सिंह **@**फोटी बनाम ए**.** पी**.** राज्य। **(2004) 11** एस**.** सी**.** सी**. 305;** नंद किशोर बनाम मध्य राज्य

एच.

652 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 2 एस. सी. आर.

प्रदेश (2011) 12 एससीसी 120:[2011] 7 एससीआर 1152;

श्यामल घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य **(2012) 7** एससीसी **646:[2012] 10** एस**.** सी**.** आर**. 95;** विरेन्द्र सिंह बनाम राज्य

मध्य प्रदेश (2010) 8 एससीसी 407:[2010] 9 एस. सी. आर. 772-निर्भर।

बरेंद्र कुमार घोष बनाम राजा सम्राट ए**.** आई**.** आर **1925** पी**.** सी**.**

1; शाह बनाम सम्राट ए**.** आई**.** आर**. 1945** पी**.** सी**. 148-**संदर्भित।निर्णीत विधि संदर्भ

[2001] 2 एससीआर **263**

पर भरोसा किया

पैरा **29**

[2002] 4 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 188** पर निर्भर

पैरा **29**

ग

(2020) 4 एससीसी **126**

पर भरोसा किया

पैरा **29**

(1989) 3 एस**.** सी**.** सी**. 605**

पर भरोसा किया

पैरा **29**

[1996] 5 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 405** पर निर्भर

पैरा **29**

पैरा **29**

[2000] 2 एससीआर **515**

पर भरोसा किया

डी.

[2001] 1 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 72** पर निर्भर

पैरा **29**

(204) 11 एससीसी **305**

पर भरोसा किया

पैरा **29**

[2011] 7 एससीआर **1152**

पर भरोसा किया

पैरा **29**

ई.

[2012] 10 एससीआर **95**

पर भरोसा किया

पैरा **29**

[2010] 9 एससीआर **772**

पर भरोसा किया

पैरा **30**

आपराधिक अपील क्षेत्राअधिकार : 2021 की आपराधिक अपील संख्या 1584।

सी. आर. ए.-डी.-1325-डी. बी.-2015 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 16.10.2019 के निर्णय और आदेश से।सह

च

2021 की आपराधिक अपील संख्या 1585 और 1586।

शेखर नाफड़े, सिद्धार्थ लूथरा, विक्रम चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता।, रजत बाली, शिवराम, गौरव अग्रवाल, सुश्री ऐश्वर्या दास, सुश्री सुप्रिया जुनेजा, सुश्री शुभांगी जैन, सुश्री सोनाली शर्मा, पंकज सिंघल, यश गिरि, निखिल जैन, ऋषि सहगल, केशवम चौधरी, सुश्री रिया खन्ना, सुश्री जसप्रित गोगिया, करणवीर गोगिया, सुश्री शिवांगी सिंघल, सुश्री वामिका गुप्ता, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

जी.

एच.

जस्दीप सिंह @जस्सू बनाम पंजाब राज्य ए

क.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. एम. सुंदरेश, जे.

1. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना।

2. सीआरएल। ए. 2021 का No.1584 और सीआरएल। 2021 का ए. No.1585 दोषी अपीलार्थी/अभियुक्त 3 और 4 द्वारा भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 304 भाग I के तहत दोषी ठहराए जाने के खिलाफ दायर किया जाता है, जबकि सी. आर. एल. ए. 2021 का No.1586 वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दंडनीय सजा में दोषसिद्धि को संशोधित करने की मांग करते हुए दायर किया गया है। इस प्रकार, हम अपने सामान्य आदेश द्वारा सभी अपीलों से निपटेंगे, विशेष रूप से, जब वे एक सामान्य विवादित आदेश से निकलती हैं और निकलती हैं।

ग

संक्षिप्त तथ्य

3. चार अभियुक्त व्यक्तियों पर आरोप लगाया गया, उन्हें दोषी ठहराया गया और निम्नलिखित तरीके से सजा सुनाई गईः

डी.

ई.

च

जी.

एच.

654

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 2 एस सी आर।

4. यह घटना लगभग 12 बजे हुई।45 बाबा रसोई ढाबा, जालंधर के क्षेत्र में 21.04.2011 पर सुबह।घटना का उद्देश्य यह था कि मृतक ने महसूस किया कि उसके और उसके पिता (पीडब्लू 6), सी. आर. एल. में अपीलार्थी के होटल में छापा मारा गया था। ए. 2021 का No.1586, अभियुक्त के कहने पर किया गया था।सभी आरोपी एक-दूसरे के दोस्त हैं।

5. पीडब्लू6 मृतक की तलाश में गया जब उसे पता चला कि वह घर नहीं लौटा है, हालांकि उसे देर से आने की आदत थी।एक विशेष सड़क पर, उसने आरोपी को मृतक के साथ जूझते देखा।यह उन्होंने स्ट्रीट लाइट में देखा था।इस घटना को पीडब्लू10 ने भी देखा था जो संयोग से मृतक का दोस्त था।पीडब्लू13 ने पिछली रात मृतक को खत्म करने के लिए आरोपी की ओर से सामान्य इरादे के बारे में बात की।

ग

6. ए 3 और ए 4 द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, "अब आप क्या देख रहे हैं", ए 1 ने अपनी जेब से बंदूक निकाली और मृतक को गोली मार दी।ए 2 ने अपनी बंदूक ली और ए 3 और ए 4 द्वारा दिए गए उपरोक्त बयान से पहले मृतक के खिलाफ गोली चला दी, जिसके बाद ए 1 द्वारा गोली चलाई गई।ए 3 और ए 4 ने ए 1 की ओर इशारा करते हुए बयान दिया, हालांकि ए 2 के पास पहले से ही बंदूक थी।इसके बाद ही ए 1 ने अपनी बंदूक निकाली और मृतक को गोली मार दी।

डी.

7. पास के अन्य अस्पतालों के बावजूद मृतक को घटना स्थल से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित अस्पताल ले जाया गया। पीडब्लू23 ने पीडब्लू6 और पीडब्लू10 को मृतक को पीडब्लू6 की कार में ले जाने में मदद की।इसके बाद पीडब्लू6 ने प्रदर्शनी पीएल के तहत शिकायत दी। शिकायत में, उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि ए 3 और ए 4 ने ए 1 को गोली मारने के लिए प्रोत्साहित किया, सिवाय उस बयान के जिसका पहले उल्लेख किया गया था।हालाँकि, धारा 161 सी. आर. पी. सी. के तहत दिए गए अपने अतिरिक्त बयान में, उन्होंने यह कहते हुए अपने बयान में सुधार किया कि ए 3 और ए 4 ने ए 1 को गोली चलाने के लिए उकसाया।हम ध्यान दे सकते हैं कि ए 6 कानूनी रूप से योग्य व्यक्ति है।

ई.

च

8. पीडब्लू24 ने जाँच शुरू की और औपचारिकताएँ पूरी कीं।हथियारों सहित बरामदगी की गई है।

जी.

9. निचली अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष ने 27 गवाहों से पूछताछ की और अपने मामले के समर्थन में दस्तावेजों को चिह्नित किया।बचाव पक्ष की ओर से दस्तावेजों के साथ 16 गवाहों से पूछताछ की गई है।

10. निचली अदालत के समक्ष, पीडब्लू10 और पीडब्लू23 मुकर गए।पक्षों की ओर से पेश वकील को सुनने के बाद सभी अभियुक्तों के खिलाफ धारा ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्धि प्रदान की गई है।

एच.

655

जस्दीप सिंह @जस्सू बनाम पंजाब राज्य [एम. एम. सुंदरेश, जे.] ए.

304 आजीवन कारावास के साथ आई. पी. सी. की धारा I।निचली अदालत ने तर्क दिया कि ऐसा नहीं है कि आरोपी मृतक की प्रतीक्षा कर रहे थे।मृतक अभियुक्त के करीब गया, जैसा कि प्रदर्शनी पी. एफ./1 और पी. क्यू. के तहत पी. डब्ल्यू. 10 के साक्ष्य से देखा जा सकता है। केवल एक गोली लगी थी।हालाँकि मृतक नीचे गिर गया, फिर भी आरोपी ने उसे गोली नहीं मारी। वास्तव में घटना से पहले एक झगड़ा हुआ था।पी. डब्ल्यू. 13 के साक्ष्य पर पूर्व संगीत कार्यक्रम के संबंध में अविश्वास किया गया था।यह उल्लेख किया गया था कि वह जालंधर से 50 किलोमीटर दूर एक स्थान का निवासी था।उनके चचेरे भाई (डी. डब्ल्यू. 1) द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से पता चलता है कि वह जालंधर में अपने घर पर मौजूद नहीं थे और 20.04.2011 पर जालंधर जाने

का कोई कारण नहीं था।अभियोजन पक्ष ने यह साबित नहीं किया कि उस दिन उनका जन्मदिन था और उनके आवास के पास अन्य स्थान उपलब्ध थे।यह मानने के लिए बिल्कुल कोई सामग्री नहीं थी कि वह आरोपी को किसी भी समय पहले से जानता था।यह असंभव होगा कि आरोपी अपने हथियारों को दिखाते हुए खुद को नाम से संबोधित करके सार्वजनिक रूप से हत्या करने की योजना बनाएँगे।इसके अलावा उन्होंने कोई शिकायत नहीं की।यह कथन कि वह अपनी जीप के लिए टायर लेने के लिए कुछ दिनों बाद आए थे, उस पर विश्वास नहीं किया गया क्योंकि इस तरह के टायर निकट स्थान पर प्राप्त किए जा सकते थे।

ग

डी.

11. तदनुसार, यह मानते हुए कि कोई पूर्वकल्पना नहीं थी, और यह घटना अचानक लड़ाई के अनुसरण में हुई थी, जुनून की गर्मी में, मामले को आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 के तहत लाया गया था।

ई.

12. सभी पक्षों ने याचिका दायर की थी।उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के विचारों से सहमति व्यक्त की।हालाँकि, यह विशेष रूप से ए 3 और ए 4 के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 34 के दायरे से संबंधित नहीं था, जो तदनुसार निचली अदालत द्वारा किया गया था।हम यह भी नोट कर सकते हैं कि निचली अदालत ने गवाहों द्वारा दिए गए बयानों सहित अपने समक्ष रखी गई लगभग सभी सामग्री पर विचार करके एक गहन, विस्तृत मूल्यांकन किया।13. ए 3 और ए 4 हमारे समक्ष निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले की पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को पलटने की मांग करते हुए अपनी-अपनी अपील दायर कर रहे हैं।अतः ए 1 और ए 2 ने अपनी अपील दायर नहीं की है।हमें सी. आर. एल. में वास्तविक शिकायतकर्ता/अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा बार में सूचित किया गया है। A. 2021 का No.1586 कि A1 को तब से राज्य द्वारा पूर्व-परिपक्व रिलीज पर जारी किया गया है।हम ए 1 और ए 2 की भूमिका के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं सिवाय इसके कि उच्च न्यायालय और निचली अदालत के फैसले का परीक्षण करने की सीमा तक कि क्या मामला आई. पी. सी. की धारा 304 भाग I या धारा 305 के तहत आएगा।

च

जी.

एच.

अपीलार्थियों की ओर से तर्क

14. चूँकि दोषी अपीलार्थी और वास्तविक शिकायतकर्ता दोनों द्वारा अपील दायर की गई है, हम पहले ए 3 और ए 4 की दलीलों पर ध्यान देना चाहेंगे और इस प्रकार वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा दायर अन्य अपील को राज्य की दलीलों के साथ लिया जाएगा।

15. विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि पीडब्लू 13 के साक्ष्य पर अविश्वास होने के कारण, अदालतों ने आई. पी. सी. की धारा 34 को लागू करने में त्रुटि की है। पीडब्लू6 द्वारा दिए गए बयान के संबंध में सुधार हुआ है।आई. पी. सी. की धारा 34 को आकर्षित करने के लिए केवल एक बयान पर्याप्त नहीं होगा। यह अजीब बात है कि दोनों ने एक ही बयान दिया।पीडब्लू6 की उपस्थिति बहुत संदिग्ध है।उन्होंने बयान दिया था कि मृतक देर से आता था और कोई शिकायत नहीं थी।यदि ए 1 द्वारा मृतक को गोली मारने से पहले ए 2 ने बंदूक चलाई होती, तो यह तर्कसंगत है कि ए 3 और ए 4 ने ए 2 को पहले गोली चलाने के लिए कहा होता।यहां तक कि पीडब्लू10 में दूसरा प्रत्यक्षदर्शी भी शत्रुतापूर्ण हो गया है और इसी तरह पीडब्लू23 में एक और भौतिक गवाह भी।उन परिस्थितियों में यह एक उपयुक्त मामला है जहां ए 3 और ए 4 के खिलाफ दी गई दोषसिद्धि को दरकिनार कर दिया जाना है।

ग

डी.

उत्तरदाताओं का प्रस्तुतिकरण

16. वास्तविक शिकायतकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि आरोपी प्रभावशाली व्यक्ति हैं।यह मामला आई. पी. सी. की धारा302 के तहत दंडनीय अपराध के तहत आएगा। निचली अदालत ने आई. पी. सी. की धारा 299 के तहत लाने में एक त्रुटि की है जिसकी उच्च न्यायालय ने पुष्टि की है और इसलिए आई. पी. सी. की धारा 304 भाग I को गलत तरीके से लागू किया है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 34 को आकर्षित करने के लिए शारीरिक कार्य करना होगा। इस प्रकार, अभियुक्त की उपस्थिति ही पर्याप्त होगी।इसलिए, अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा दायर अपील को खारिज करते समय वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा दायर अपील की अनुमति दी जानी चाहिए।

ई.

च

17. राज्य की ओर से पेश वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय ने ठोस तर्क दिया था।निचली अदालत ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध पूरी सामग्री पर विचार किया।की गई बरामदगी सिद्ध हो चुकी है।उन परिस्थितियों में दोषसिद्धि और सजा में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

जी.

धारा **34** आई**.** पी**.** सी**.**

18. हम सबसे पहले आई. पी. सी. की धारा 34 को समझने के लिए इतिहास में वापस जाएंगे क्योंकि यह शुरुआत में थी और अब भी मौजूद है।

एच.

657

जस्दीप सिंह @जस्सू बनाम पंजाब राज्य [एम. एम. सुंदरेश, जे.] ए.

क.

19. एक तुलना में, यह समझा जा सकता है कि "सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए" वाक्यांश को बाद में क़ानून पुस्तक में जोड़ा गया था।इसे पहली बार कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक पीठ की अध्यक्षता करने वाले मुख्य न्यायाधीश बार्न्स पीकॉक ने क्वीन बनाम गोराचंद गोप (1866 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 16) में अपना निर्णय देते हुए गढ़ा था, जिसने संभवतः 1870 में आई. पी. सी. की धारा 34 में संशोधन को प्रेरित और तेज किया होगा।निम्नलिखित परिच्छेद उपरोक्त संभावित दृष्टिकोण को विश्वास दिला सकता हैः

ग

“ऐसा नहीं है कि, क्योंकि वे उसे ले जाने के इरादे से मौजूद थे, कि उन्होंने उसकी पिटाई में अपनी उपस्थिति से इस हद तक सहायता की कि मृत्यु का कारण बन सके।अगर अमोर्दी को जब्त करने वालों का उद्देश्य और योजना केवल उसे चोरी के आरोप में ठाणे ले जाना था, और उसे मारना आम योजना का हिस्सा नहीं था, तो वे सभी केवल इसलिए पिटाई के परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे क्योंकि वे मौजूद थे।यह निर्धारित किया गया है कि जब कई व्यक्ति एक साथ एक समान उद्देश्य में लगे हुए हैं, जो वैध या गैरकानूनी है, और उनमें से एक, दूसरों की जानकारी या सहमति के बिना, अपराध करता है, तो अन्य अपराध में

शामिल नहीं होंगे, जब तक कि किया गया कार्य किसी तरह से सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में न हो।यह भी कहा जाता है, हालांकि एक आदमी उस समय मौजूद होता है जब कोई अपराध किया जाता है, अगर वह इसमें कोई भाग नहीं लेता है, और इसे करने वालों के साथ मिलकर काम नहीं करता है, तो वह केवल इसलिए प्रिंसिपल नहीं होगा क्योंकि उसने इसे रोकने या अपराधी को पकड़ने का प्रयास नहीं किया था।लेकिन अगर कई लोग किसी व्यक्ति को पकड़ने और चोरी के आरोप में उसे थाने ले जाने के उद्देश्य से एक साथ बाहर जाते हैं, और अन्य लोगों की उपस्थिति में दल के कुछ लोग उस व्यक्ति को क्रूर और हिंसक तरीके से पीटते हैं और बुरा व्यवहार करते हैं, और अन्य लोग खड़े रहते हैं और उन्हें उनके क्रूर और हिंसक आचरण से रोकने का प्रयास किए बिना देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को तथ्यों से निपटना पड़ता है, वे बहुत ठीक से अनुमान लगा सकते हैं कि वे सभी पार्टियों को स्वीकार कर रहे थे और सामूहिक रूप से काम कर रहे थे, और यह कि पिटाई एक सामान्य साजिश को आगे बढ़ाने के लिए थी।मुझे नहीं पता कि सबूत क्या था, बस इतना ही मैं चाहता हूँ

डी.

ई.

च

जी.

एच.

यह इंगित करता है कि जो भी उपस्थित हैं, वे आवश्यक रूप से उनकी उपस्थिति में किए गए हर कार्य में उनकी उपस्थिति से सहायता नहीं करते हैं, और न ही परिणामस्वरूप प्रधान के रूप में दंडित किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।"

20. आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ आगे बढ़ने से पहले, आई. पी. सी. की धारा 33 पर एक झलक बेहतर समझ दे सकती है।आई. पी. सी. की धारा 33 एकल अधिनियम के रूप में कृत्यों की एक श्रृंखला को अपने दायरे में लाती है।इसलिए, आई. पी. सी. की धारा 34 से 39 को आकर्षित करने के लिए, कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों की एक श्रृंखला एक ही कार्य से संबंधित होगी जो एक आपराधिक अपराध है।इसी तरह का अर्थ 'चूक' शब्द को भी दिया गया है, जिसका अर्थ है कि चूक की एक श्रृंखला का अर्थ भी एक ही चूक होगा।इस प्रकार यह प्रावधान यह स्पष्ट करेगा कि एक अधिनियम का अर्थ होगा और इसके साथ अन्य अधिनियम भी शामिल होंगे।

ग

21. आई. पी. सी. की धारा 34 एक समान इरादे के अनुसरण में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति में किए गए अपराध का गठन करने वाले आपराधिक कार्य को लागू और आयात करके एक काल्पनिक कल्पना का निर्माण करती है।अदालत की संतुष्टि के लिए सामान्य इरादे को साबित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष पर है।साक्ष्य की गुणवत्ता पर्याप्त, ठोस, निश्चित और स्पष्ट होनी चाहिए।जब अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 34 के दायरे में लाने के लिए पेश किए गए साक्ष्य के एक हिस्से पर विश्वास नहीं किया जाता है, तो शेष भाग की पर्याप्त सावधानी और सावधानी के साथ जांच करनी होगी, क्योंकि हम अभियुक्त पर प्रत्यावर्ती दायित्व के मामले से निपट रहे हैं, जिसमें उसे उस व्यक्ति के बराबर माना जाता है जिसने वास्तव में अपराध किया था।

डी.

ई.

22. जो आवश्यक है वह सामान्य इरादे का प्रमाण है।इस प्रकार, सामान्य इरादे के बिना कोई अपराध हो सकता है, जिस मामले में आई. पी. सी. की धारा 34 आकर्षित नहीं होती है।

23. यह फुटबॉल के खेल के समान एक टीम प्रयास है जिसमें डिफेंडर, मिड-फील्डर, स्ट्राइकर और एक कीपर जैसे कई लोगों द्वारा संचालित कई स्थान शामिल हैं।एक स्ट्राइकर लक्ष्य को मार सकता है, जबकि एक कीपर हमले को रोक सकता है।मैच का परिणाम, या तो जीत या हार, सभी खिलाड़ियों द्वारा वहन किया जाता है, हालांकि उनकी अपनी अलग भूमिका हो सकती है। एक गोल किया गया या बचाया गया अंतिम कार्य हो सकता है, लेकिन परिणाम ही मायने रखता है।जिन विशिष्ट व्यक्तियों ने अधिक प्रभाव डाला था, उनके खिलाफ परिणाम खिलाड़ियों के बीच साझा किया जाता है।यही तर्क आई. पी. सी. की धारा 34 की नींव है जो उन लोगों पर साझा दायित्व पैदा करती है जो अपराध करने के लिए समान इरादे रखते हैं।

च

जी.

24. आई. पी. सी. की धारा 34 का उद्देश्य ए में कार्य करते हुए एक पक्ष के व्यक्तिगत सदस्यों के कार्यों में अंतर करने में कठिनाइयों को दूर करना है।

एच.

659

जस्दीप सिंह @जस्सू बनाम पंजाब राज्य [एम. एम. सुंदरेश, जे.] ए.

एक साझा इरादे को आगे बढ़ाना।एक विशेष परिणाम लाने की आपराधिक कार्रवाई में भाग लेने वाले व्यक्तियों का एक साथ सचेत मन होना चाहिए।इसके अस्तित्व के लिए एक सामान्य इरादा तथ्य का सवाल है और "उक्त इरादे को आगे बढ़ाने के लिए" एक कार्य की भी आवश्यकता है।किसी को ठोस साक्ष्य की खोज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह अदालत को संचयी मूल्यांकन पर एक निष्कर्ष पर पहुंचना है।यह केवल साक्ष्य का नियम है और इस प्रकार कोई ठोस अपराध पैदा नहीं करता है।
25. आम तौर पर, शारीरिक रूप से किए गए अपराध में, आई. पी. सी. की धारा 34 के तहत आरोपित अभियुक्त की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से ऐसे मामले में जहां अभियुक्त को जिम्मेदार ठहराया गया कार्य उकसाने/उकसाने वाला है।हालांकि, अपवाद हैं, विशेष रूप से, जब एक अपराध में अलग-अलग समय और स्थानों पर किए गए विविध कार्य होते हैं।इसलिए इसे मामले-दर-मामले के आधार पर देखा जाना चाहिए।

ग

26. "आगे बढ़ना" शब्द भविष्य में प्रभाव पैदा करने में सहायता या सहायता के अस्तित्व को इंगित करता है।इस प्रकार, इसे एक उन्नति या पदोन्नति के रूप में माना जाना चाहिए।

डी.

27. ऐसे मामले हो सकते हैं जहां सभी कार्य, सामान्य रूप से, आई. पी. सी. की धारा 34 के दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन केवल वे जो पर्याप्त संपर्क रखने वाले सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किए जाते हैं।जब हम इरादे की बात करते हैं तो यह प्रस्तावित अपराध के लिए आवश्यक किसी भी मौजूदा तथ्य के पर्याप्त ज्ञान के साथ आपराधिकता में से एक होना चाहिए।इस तरह का इरादा उपरोक्त आवश्यक ज्ञान के साथ अपराध करने में सहायता, प्रोत्साहन, बढ़ावा और सुविधा प्रदान करने के लिए है।28. समान इरादे का अस्तित्व स्पष्ट रूप से अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि वह साबित करे।हालाँकि, एक अदालत को आई. पी. सी. की धारा 34 के तहत किसी व्यक्ति को फंसाने से पहले सबूतों का विश्लेषण और मूल्यांकन करना होता है। केवल एक सामान्य इरादा आई. पी. सी. की धारा 34 को आकर्षित नहीं कर सकता है, बिना आगे की कार्रवाई के।ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां एक व्यक्ति अपराध करने के लिए एक सामान्य इरादा बनाने में सक्रिय भागीदार होने के बावजूद, वास्तव में बाद में इससे पीछे हट सकता है।बेशक, यह भी अदालत के विचार के लिए तथ्यों में से एक है।इसके अलावा, यह तथ्य कि आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित अपराध के लिए आरोपित सभी आरोपी अपराध के लिए उपस्थित हैं, खुद को या दूसरों को मना किए बिना एक प्रासंगिक परिस्थिति हो सकती है, बशर्ते कि एक पूर्व सामान्य इरादा विधिवत साबित हो।एक बार फिर, यह

एक ऐसा पहलू है जिस पर अदालत द्वारा उसके समक्ष रखे गए साक्ष्य पर गौर करने की आवश्यकता है।बचाव पक्ष की ओर से ऐसे मामले में विशेष रूप से ऐसी याचिका दायर करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है जहां अदालत के समक्ष पर्याप्त सबूत उपलब्ध हों।

ई.

च

जी.

एच.

660

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 2 एस सी आर।

29. आई. पी. सी. की धारा 34 का सार और दायरा निम्नलिखित निर्णयों के अंशों से निकाला जा सकता हैः

सुरेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2001) 3 एस. सी. सी. 673):"24. ऊपर बताए गए पहले अभिधारणा को देखते हुए, जिस अभियुक्त पर आई. पी. सी. की धारा 34 के बल पर दायित्व लगाया जाना है, उसे कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए था जिसका अपराध के साथ संबंध हो।इस तरह का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है, यह पर्याप्त है कि यह कार्य केवल अपराध को सुविधाजनक बनाने के लिए घटनास्थल की रक्षा के लिए है।यह आवश्यक नहीं है कि अधिनियम स्पष्ट हो, भले ही यह केवल एक गुप्त कार्य हो, यह पर्याप्त है, बशर्ते कि ऐसा गुप्त कार्य सह-अभियुक्त द्वारा सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया गया साबित हो।यहाँ तक कि एक चूक, कुछ परिस्थितियों में, एक कार्य के बराबर हो सकती है।यह आई. पी. सी. की धारा 32 का उद्देश्य है। इसलिए, आई. पी. सी. की धारा 34 में उल्लिखित कार्य एक स्पष्ट कार्य होने की आवश्यकता नहीं है, यहां तक कि एक निश्चित स्थिति में एक निश्चित कार्य करने के लिए एक अवैध चूक भी एक कार्य के बराबर हो सकती है, जैसे कि एक सह-आरोपी, जो पीड़ित के पास आमने-सामने खड़ा था, उसने एक सशस्त्र हमलावर को पीछे से एक हथियार के साथ पीड़ित के पास एक प्रहार करने के लिए देखा।सह-अभियुक्त, जो पीड़ित को हमले से बचने के लिए दूर जाने के लिए सचेत कर सकता था, जानबूझकर इस विचार के साथ ऐसा करने से बच गया कि प्रहार पीड़ित पर पड़ना चाहिए।इस तरह की चूक को किसी दी गई स्थिति में एक कार्य भी कहा जा सकता है।इसलिए एक कार्य, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या गुप्त, सह-अभियुक्त द्वारा किया जाना अनिवार्य है ताकि धारा के तहत दायित्व निर्धारित किया जा सके।लेकिन अगर किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाता है, भले ही उसका अपराध को पूरा करने के लिए दूसरों के साथ समान इरादा हो, तो उस व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए आई. पी. सी. की धारा 34 लागू नहीं की जा सकती है।दूसरे शब्दों में, जो अभियुक्त केवल अपने मन में सामान्य इरादे रखता है, लेकिन घटनास्थल पर कोई कार्य नहीं करता है, उसे आई. पी. सी. की धारा 34 की सहायता से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

ग

डी.

ई.

च

XXX

XXX

40. समान इरादे को आगे बढ़ाने में अपराध में भागीदारी सभी अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अंतिम आपराधिक कार्य के अलावा कुछ स्वतंत्र आपराधिक कार्य की कल्पना नहीं कर सकती है, क्योंकि उस व्यक्तिगत अधिनियम के लिए कानून संहिता के अन्य

प्रावधानों के तहत ऐसे अभियुक्त को जिम्मेदार बनाने का ध्यान रखता है।धारा 34 में प्रयुक्त "अधिनियम" शब्द एकल ए के रूप में कृत्यों की एक श्रृंखला को दर्शाता है।

जी.

एच.

661

जस्दीप सिंह @जस्सू बनाम पंजाब राज्य [एम. एम. सुंदरेश, जे.] ए.

अभिनय करें।कानून के तहत जो आवश्यक है वह यह है कि समान इरादे वाले अभियुक्त व्यक्ति घटना स्थल पर शारीरिक रूप से मौजूद होने चाहिए और यह दिखाया जाना चाहिए कि उन्होंने इच्छित आपराधिक कार्य से खुद को हतोत्साहित नहीं किया है, जिसके लिए वे समान इरादे रखते थे।धारा 34 के तहत दोषसिद्धि को घटना स्थल से केवल दूरी से बाहर नहीं किया जा सकता है।हालांकि, रचनात्मक इरादे के अनुमान पर तभी पहुंचना होगा जब अदालत न्यायिक दासता के साथ यह मान सके कि आरोपी ने उस परिणाम की पूर्व-कल्पना की होगी जो सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में आया था।शत्रुघ्न पातर बनाम सम्राट, ए. आई. आर. 1919 पैट 111 वाले मामले में पटना उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 34 को तभी लागू किया जा सकता है जब कोई अदालत कुछ निश्चितता के साथ यह अभिनिर्धारित करे कि किसी विशेष अभियुक्त ने उस परिणाम को लाने के लिए दूसरों के साथ मिलकर पूर्वकल्पित या पूर्व नियोजित किया होगा।"

ग

डी.

ललन राय बनाम बिहार राज्य, [(2003) 1 एस. सी. सी. 268]:“22. ठीक में उपरोक्त चर्चा इस प्रकार इस प्रभाव पर समाप्त होती है कि क़ानून की आवश्यकता घटना के स्थान पर उपस्थित होने पर सामान्य इरादे को साझा कर रही है। घटनास्थल से केवल खुद को दूर रखने से आरोपी को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता है-हालाँकि यह विचाराधीन मामले की तथ्य स्थिति पर निर्भर करता है और इसके लिए कोई नियम स्थिर नहीं रखा जा सकता है।"

ई.

छोटा अहिरवार बनाम एमपी राज्य, [(2020) 4 एससीसी 126]:“24. धारा 34 केवल तभी आकर्षित होती है जब सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा एक विशिष्ट आपराधिक कार्य किया जाता है, जिस मामले में सभी अपराधी उस आपराधिक कार्य के लिए उसी तरह से उत्तरदायी होते हैं जैसे कि मुख्य अपराधी द्वारा किया गया था।यह धारा मुख्य कार्य करने वाले प्रमुख अपराधी के दायित्व को कम नहीं करती है, बल्कि अन्य सभी अपराधियों को भी उत्तरदायी बनाती है।धारा 34 के तहत दायित्व का सार एक विशेष परिणाम लाने के लिए आपराधिक कार्य में भाग लेने वाले व्यक्तियों के मन की एक साथ सर्वसम्मति है, जिसे ललन राय बनाम बिहार राज्य, (2003) 1 एस. सी. सी. 268 में आयोजित किए गए स्थान पर भी सर्वसम्मति विकसित की जा सकती है।एक साझा इरादा होना चाहिए

च

जी.

एच.

662

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 2 एस सी आर।

विशेष अपराध करना।समान इरादे का गठन करने के लिए, यह बिल्कुल आवश्यक है कि प्रत्येक आरोपी के इरादे को बाकी आरोपी को पता होना चाहिए।" बरेंद्र कुमार घोष बनाम राजा सम्राट (ए. आई. आर. 1925 पी. सी. 1):"..... धारा 34 के शब्दों को इस अत्यधिक सीमित अर्थ में पढ़कर अलग नहीं किया जाना चाहिए।धारा 33 द्वारा धारा 34 में एक आपराधिक कार्य में कृत्यों की एक श्रृंखला शामिल है और इसके अलावा, "अधिनियम" में कार्य करने में चूक शामिल है, उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति की आंखों के सामने हत्या को होने से रोकने के लिए हस्तक्षेप करने में चूक।धारा 37 द्वारा, जब कोई अपराध कई कृत्यों के माध्यम से किया जाता है, जो कोई भी जानबूझकर उन कृत्यों में से किसी एक को अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से करके उस अपराध को करने में सहयोग करता है, तो वह अपराध करता है।भले ही अपीलार्थी ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर कुछ नहीं किया हो, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि अन्य चीजों की तरह अपराधों में भी "वे उन्हीं की सेवा करते हैं जो केवल खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं।"धारा 38 द्वारा, जब कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य में लगे होते हैं या संबंधित होते हैं, तो वे उस कार्य के माध्यम से विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकते हैं।एक साथ पढ़ें, ये खंड उचित रूप से सरल हैं।धारा 34 कई व्यक्तियों द्वारा समान या विविध अलग-अलग कार्य करने से संबंधित है; यदि सभी एक सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति उन सभी के परिणाम के लिए उत्तरदायी है, जैसे कि उसने उन्हें स्वयं किया था, क्योंकि धारा के उत्तरार्ध में "वह कार्य" और "कार्य" के लिए पहले भाग में 'आपराधिक कार्य' द्वारा कवर की गई पूरी कार्रवाई शामिल होनी चाहिए, क्योंकि वे इसका उल्लेख करते हैं।धारा 37 में प्रावधान है कि जब कई कार्य किए जाते हैं ताकि एक साथ अपराध किया जा सके, तो उनमें से किसी एक को अपराध में सहयोग करने के इरादे से करना (जो सभी के लिए एक समान इरादे के रूप में समान नहीं हो सकता है), अभिनेता को अपराध के लिए दंडित करने के लिए उत्तरदायी बनाता है।धारा 38 में एक अपराध के लिए एक दंड के विकल्प के रूप में विभिन्न अपराधों के लिए अलग-अलग दंड का प्रावधान है, चाहे आपराधिक कार्य करने में लगे या संबंधित व्यक्ति एक इरादे से या दूसरे इरादे से लागू किए गए हों।"

ग

डी.

ई.

च

जी.

महबूब शाह बनाम सम्राट (ए. आई. आर 1945 पी. सी. 148):".....धारा 34 आपराधिक कार्य करने में संयुक्त दायित्व का सिद्धांत निर्धारित करती है।खंड में यह नहीं कहा गया है कि "सामान्य ए"

एच.

663

जस्दीप सिंह @जस्सू बनाम पंजाब राज्य [एम. एम. सुंदरेश, जे.] ए.

सभी के इरादे "और न ही यह कहता है" सभी के लिए एक सामान्य इरादा।" इस धारा के तहत, उस दायित्व का सार एक सामान्य इरादे के अस्तित्व में पाया जाना चाहिए जो आरोपी को सक्रिय करता है जिससे इस तरह के इरादे को आगे बढ़ाने के लिए एक आपराधिक कार्य किया जाता है।धारा 34 की सहायता को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए, यह दिखाया जाना चाहिए कि जिस आपराधिक कार्य के खिलाफ शिकायत की गई थी, वह अभियुक्त व्यक्तियों में से एक द्वारा सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था; यदि यह दिखाया जाता है, तो अपराध के लिए दायित्व किसी भी व्यक्ति पर उसी तरह से लगाया जा सकता है जैसे कि कार्य अकेले उसके द्वारा किया गया था।यह सिद्धांत होने के कारण, उनके प्रभुओं के लिए यह स्पष्ट है कि धारा के अर्थ के भीतर सामान्य इरादे का तात्पर्य एक पूर्व-व्यवस्थित योजना है, और धारा को लागू करने वाले अपराध के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए यह साबित किया जाना चाहिए कि आपराधिक कार्य पूर्व-निर्धारित योजना के अनुसार किया गया था।

ग

रामबिलास सिंह और अन्य बनामबिहार राज्य [(1989) 3 एससीसी 605]:“7...यह सच है कि आई. पी. सी. की धारा 34 या धारा 149 के तहत व्यक्तियों को परोक्ष रूप से दोषी ठहराने के लिए, यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि उनमें से प्रत्येक ने खुलेआम कृत्यों में लिप्त था।फिर भी, यह दिखाने के लिए सामग्री होनी चाहिए कि एक या अधिक अभियुक्तों का प्रत्यक्ष कार्य या कार्य सभी अभियुक्तों के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने या गैरकानूनी सभा के सदस्यों के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किया गया था या किया गया था।

डी.

ई.

कृष्णन और एक अन्य बनाम केरल राज्य [(1996) 10 एस. सी. सी. 508]:“15. सवाल यह है कि क्या अभियोजन पक्ष की ओर से दंड संहिता की धारा 34 की सेवा में दबाव डालने के लिए स्पष्ट कार्य करना अनिवार्य है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि अदालत यह तय करने के लिए स्पष्ट कार्य के बारे में जानना पसंद करती है कि क्या संबंधित व्यक्ति ने विचाराधीन सामान्य इरादे को साझा किया था।सवाल यह है कि क्या स्पष्ट कार्य हमेशा स्थापित किया जाना चाहिए?मेरा विचार है कि धारा 34 को संचालित करने की अनुमति देने के लिए एक स्पष्ट अधिनियम की स्थापना कानून की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह धारा तब आकर्षित होती है जब "सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा एक आपराधिक कार्य किया जाता है।"इसलिए, अभियोजन पक्ष द्वारा जो स्थापित किया जाना है, वह यह है कि सभी संबंधित व्यक्तियों का साझा इरादा था।

च

जी.

एच.

समान इरादे को साझा करने के संबंध में न्यायालय का मन तब संतुष्ट हो जाता है जब प्रत्येक अभियुक्त के लिए स्पष्ट कार्य स्थापित किया जाता है।लेकिन फिर, एक ऐसा मामला हो सकता है जहां सिद्ध तथ्य स्वयं सामान्य इरादे को साझा करने की बात करेंगेःरेज़ इप्सा

जल्दी करो।"

सुरेंद्र चौहान बनाम एम. पी. राज्य [(2000) 4 एस. सी. सी 110]:“11. धारा 34 के तहत एक व्यक्ति को अपराध को सुविधाजनक बनाने या बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपराध के वास्तविक कार्य में शारीरिक रूप से उपस्थित होना चाहिए, जिसका कार्य संयुक्त आपराधिक उद्यम का उद्देश्य है।"

ग

गोपी नाथ @झल्लार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2001) 6 एस. सी. सी. 620]:“8. ...जहां तक आई. पी. सी. की धारा 23 के साथ पठित धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को दी गई चुनौती का संबंध है, अपीलार्थी की ओर से किए गए दावे के तथ्यात्मक पहलू पर विचार करने से पहले आई. पी. सी. की धारा 34 की सहायता लेने के मामले में इस न्यायालय द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले मुख्य सिद्धांतों का प्रचार करना आवश्यक है और अक्सर दोहराया जाता है।आई. पी. सी. की धारा 34 को बहुलता या आपराधिक कार्य करने में एक साथ शामिल होने वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए आपराधिक कृत्यों के लिए संयुक्त जिम्मेदारी का नियम निर्धारित करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है, बशर्ते कि ऐसा कार्य उन सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में हो।यहाँ तक कि कई व्यक्तियों द्वारा अलग-अलग, समान या विविध कार्य करना, जब तक कि वे एक सामान्य इरादे को आगे

बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक को उन सभी के परिणाम के लिए उत्तरदायी बनाता है, जैसे कि उसने उन्हें स्वयं किया था, पूरी आपराधिक कार्रवाई के लिए-चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं था या केवल गुप्त कार्य था या केवल एक चूक थी जो एक अवैध चूक का गठन करती थी।इसलिए, इस धारा को तब भी आकर्षित माना गया है जब विभिन्न परिसंघों द्वारा किए गए कार्य अलग-अलग होते हैं जब यह किसी न किसी रूप में स्थापित किया जाता है कि उन सभी ने भाग लिया और आम इरादे को आगे बढ़ाने में खुद को लगाया जो कि पूर्व-निर्धारित या पूर्व-निर्धारित योजना हो सकती है या जो अपराध के दौरान तुरंत प्रकट या विकसित हो सकती है।सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में संबंधित व्यक्ति का सामान्य इरादा या इरादा या तो प्रत्यक्ष साक्ष्य से या अधिनियमों के निष्कर्ष से या ए में भाग लेने से साबित किया जा सकता है।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

665

जस्दीप सिंह @जस्सू बनाम पंजाब राज्य [एम. एम. सुंदरेश, जे.] ए.

पक्षकारों के मामले और आचरण की परिस्थितियाँ।अंतिम निर्णय, किसी भी दर पर, निश्चित रूप से प्रत्येक मामले की परिस्थितियों से अनुमानित निष्कर्षों पर निर्भर करेगा।" रमेश सिंह @फोटी बनाम ए. पी. राज्य [(2004) 11 एस. सी. सी. 305]:"12. ...आपराधिक दायित्व के मामले में एक सामान्य सिद्धांत के रूप में यह उस व्यक्ति की प्राथमिक जिम्मेदारी है जो वास्तव में अपराध करता है और केवल उसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है जिसने अपराध किया है।दंड संहिता में धारा 34 को लागू करके विधायिका ने आपराधिक कार्य करने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत को निर्धारित किया।उस दायित्व का सार आरोपी को जोड़ने वाले एक सामान्य इरादे के अस्तित्व में पाया जाना चाहिए जिससे इस तरह के इरादे को आगे बढ़ाने के लिए एक आपराधिक कार्य किया जा सके।इस प्रकार, यदि कार्य एक समान इरादे का परिणाम है, तो प्रत्येक व्यक्ति जिसने उस समान इरादे से आपराधिक कार्य किया है, वह किए गए अपराध के लिए जिम्मेदार होगा, चाहे उसके अपराध में उसका कितना भी हिस्सा हो। "नंद किशोर बनाम मध्य प्रदेश राज्य [(2011) 12 एस. सी. सी. 120]:"20. इस खंड के एक खाली पढ़ने से पता चलता है कि खंड को निम्नानुसार विच्छेदित किया जा सकता हैः

ग

डी.

(क) आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है;

ई.

(ख) ऐसा कार्य सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है।

और

(ग) ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक उस कार्य के लिए उसी तरह उत्तरदायी है जैसे कि यह अकेले उसके द्वारा किया गया था।

च

दूसरे शब्दों में, ये तीन तत्व अदालत को यह निर्धारित करने में मार्गदर्शन करेंगे कि क्या कोई आरोपी धारा 34 की सहायता से दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी है।जबकि पहले दो ऐसे कार्य हैं जो आरोपित किए जा सकते हैं और जिन्हें अभियुक्त के कार्यों के रूप में साबित किया जाना है, तीसरा परिणाम है।एक बार जब आपराधिक कार्य और सामान्य इरादा साबित हो जाता

है, तो कानून की कल्पना से, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से उस कार्य को करने का आपराधिक दायित्व उत्पन्न होगा। आई. पी. सी. की धारा 34 के अनुसार आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए।खंड के इस भाग में "किया" शब्द पर जोर दिया गया है।यह केवल इस से बहती है कि एक व्यक्ति से पहले

जी.

एच.

धारा 34 के प्रावधानों का पालन करके दोषी ठहराया जा सकता है, उस व्यक्ति ने अन्य व्यक्तियों के साथ कुछ किया होगा। आपराधिक कार्य में कुछ व्यक्तिगत भागीदारी की आवश्यकता होगी।इसलिए, धारा 34 की सहायता से आरोपित पूरे समूह के प्रत्येक व्यक्तिगत सदस्य को संयुक्त अधिनियम में भागीदार होना चाहिए जो उनकी संयुक्त गतिविधि का परिणाम है।

21. धारा 34 के तहत, प्रत्येक व्यक्तिगत अपराधी आपराधिक कार्य से जुड़ा हुआ है जो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अपराध का गठन करता है अर्थात वह न केवल एक सामान्य कार्य में एक भागीदार है, बल्कि जिसे सामान्य इरादे के रूप में वर्णित किया गया है और इसलिए, इन दोनों मामलों में उसकी व्यक्तिगत भूमिका को गंभीर खतरे में डाल दिया जाता है, हालांकि यह व्यक्तिगत भूमिका एक सामान्य योजना का एक हिस्सा हो सकती है जिसमें अन्य लोग भी उसके साथ शामिल हुए हैं और एक ऐसी भूमिका निभाई है जो समान या अलग है।लेकिन सामान्य इरादे का उल्लेख करते हुए, यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि अदालतों को एक ओर "सामान्य इरादे" और दूसरी ओर "पुरुष अधिकार" के बीच के अच्छे अंतर को ध्यान में रखना चाहिए जैसा कि आपराधिक न्यायशास्त्र में समझा जाता है।सामान्य इरादा पुरुषों के लिए समान या समान नहीं है।उत्तरार्द्ध पूर्व के साथ संयोग या संपार्श्विक हो सकता है लेकिन वे अलग और अलग हैं।

ग

डी.

ई.

22. धारा 34 रचनात्मक आपराधिक दायित्व से भी संबंधित है।इसमें प्रावधान है कि जहां सभी के समान इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा एक आपराधिक कार्य किया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक उस कार्य के लिए उसी तरह से उत्तरदायी है जैसे कि यह अकेले उसके द्वारा किया गया था।यदि समान इरादे से आपराधिक अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो समान इरादे वाला प्रत्येक व्यक्ति उनमें से एक द्वारा किए गए आपराधिक कार्य के लिए रचनात्मक रूप से उत्तरदायी है। (ब्राठी बनाम पंजाब राज्य 1991 (1) एस. सी. सी. 519) का संदर्भ लें।

च

23. एक अन्य पहलू जिसे अदालत को ऐसे मामलों से निपटने के दौरान ध्यान में रखना होता है, वह यह है कि सामान्य इरादा या मन की स्थिति और शारीरिक कार्य, दोनों मौके पर पहुंच सकते हैं और अनिवार्य रूप से इस तरह के अपराध को करने के लिए किसी पूर्व निर्धारित योजना का परिणाम नहीं हो सकते हैं।यह हमेशा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

जी.

एच.

क.

श्यामल घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [(2012) 7 एस. सी. सी. 646]:“87. उपरोक्त निर्णयों और विशेष रूप से धरणीधर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [(2010) 7 एस. सी. सी. 759] के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के विश्लेषण पर, यह स्पष्ट है कि आई. पी. सी. की धारा 34 वहां लागू होती है जहां दो या दो से अधिक आरोपी मौजूद होते हैं और दो कारक स्थापित किए जाने चाहिए अर्थात अपराध में अभियुक्त की समान मंशा और भागीदारी।आई. पी. सी. की धारा 34 में, इसके अलावा, प्रत्यावर्ती दायित्व शामिल है और इसलिए, यदि इरादा साबित हो जाता है लेकिन कोई स्पष्ट कार्य नहीं किया गया था, तो भी धारा को लागू किया जा सकता है।यह प्रावधान सामान्य कानून से एक अपवाद बनाता है कि एक व्यक्ति अपने स्वयं के कार्य के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि यह प्रावधान करता है कि एक व्यक्ति को दूसरों के कार्य के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, अगर उसका कार्य करने का सामान्य इरादा था।वाक्यांश "सामान्य इरादा" का अर्थ है एक पूर्व-उन्मुख योजना और योजना के अनुसरण में कार्य करना, इस प्रकार, एक समय में अधिनियम के आयोग से पहले सामान्य इरादा मौजूद होना चाहिए।किसी विशेष अधिनियम को प्रभावी बनाने का सामान्य इरादा किसी दिए गए मामले के तथ्यों के संदर्भ में कई व्यक्तियों के बीच पल भर में भी विकसित हो सकता है।"

ग

डी.

30. उपरोक्त सिद्धांत पर भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विरेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य ((2010) 8 एस. सी. सी. 407) मामले में निम्नलिखित पैराग्राफ के माध्यम से विस्तार से विचार किया गया हैः

ई.

“15. आम तौर पर, एक व्यक्ति अपने स्वयं के कार्य के लिए जिम्मेदार होता है।एक व्यक्ति दूसरों के कृत्यों के लिए परोक्ष रूप से भी जिम्मेदार हो सकता है यदि उसका अपराध करने का सामान्य इरादा था।"सामान्य इरादा" शब्दों का तात्पर्य एक पूर्व निर्धारित योजना और योजना के अनुसार सामूहिक रूप से कार्य करना है।यह साबित किया जाना चाहिए कि आपराधिक कृत्य पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार सामूहिक रूप से किया गया था।अधिनियम के लागू होने से पहले सामान्य इरादा समय के साथ लागू हो जाता है, जो एक लंबा अंतराल होने की आवश्यकता नहीं है।इस खंड के तहत एक विशिष्ट पिछली योजना के अर्थ में एक पूर्व-संगीत कार्यक्रम को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।एक विशेष परिणाम लाने का सामान्य इरादा मामले के तथ्यों और स्थिति की परिस्थितियों के संदर्भ में कई व्यक्तियों के बीच मौके पर ही विकसित हो सकता है।हालाँकि सामान्य इरादा मौके पर ही विकसित हो सकता है, लेकिन यह अपराध के लिए पूर्व निर्धारित योजना और पूर्व संगीत कार्यक्रम दिखाने के लिए पूर्ववर्ती होना चाहिए।द.

च

जी.

एच.

लड़ाई के दौरान सामान्य इरादा विकसित हो सकता है लेकिन उस निष्कर्ष को सही ठहराने के लिए स्पष्ट और निर्विवाद प्रमाण होना चाहिए।यह इस न्यायालय द्वारा अमरीक सिंह और अन्य बनाम के मामले में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है।पंजाब राज्य, 1972 (4) एससीसी (एन) 42:1972 क्रिएलजे 465।

16. दायित्व का सार एक सामान्य इरादे के अस्तित्व में पाया जाना चाहिए जो आरोपी को सक्रिय करता है जिससे इस तरह के इरादे को आगे बढ़ाने के लिए एक आपराधिक कार्य किया जाता है।निस्संदेह, किसी व्यक्ति के इरादे को भी साबित करना

मुश्किल है और इसलिए, व्यक्तियों के एक समूह के सामान्य इरादे को दिखाना और भी मुश्किल है।इसलिए, यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई व्यक्ति सामान्य इरादे का दोषी है, रिकॉर्ड पर पूरे साक्ष्य की सावधानीपूर्वक और गंभीर रूप से जांच करना बिल्कुल आवश्यक है।सामान्य इरादे को केवल अभिलेख पर साक्ष्य से ही स्पष्ट किया जा सकता है।17. धारा 34 मूल अपराध नहीं है।यह आवश्यक है कि इस धारा के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति को दूसरे द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराए जाने से पहले, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि दोनों के बीच एक पूर्व निर्धारित योजना के अर्थ में एक सामान्य इरादा था और इस तरह से उत्तरदायी ठहराए जाने वाले व्यक्ति ने अपराध का गठन करने वाले अधिनियम में किसी तरह से भाग लिया था।जब तक समान इरादा और भागीदारी दोनों मौजूद नहीं हैं, यह धारा लागू नहीं हो सकती है।

ग

डी.

ई.

XXX

XXX

XXX

36. इस मामले के तथ्यों का उल्लेख करते हुए, इस अपील में निर्णय के लिए जो छोटा सवाल उठता है, वह यह है कि क्या अपीलार्थी विरेंद्र सिंह को आई. पी. सी. की धारा 34 की सहायता से धारा 302 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। दंड संहिता के तहत, जो व्यक्ति अपराध की तैयारी से जुड़े हैं, उन्हें दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है:(1) वे जो वास्तव में अपराध करते हैं अर्थात प्रथम श्रेणी में प्रधानाचार्य; और (2) वे जो वास्तविक कमीशन में सहायता करते हैं अर्थात द्वितीय श्रेणी में प्राचार्य।कानून ऐसे व्यक्तियों की सजा के संबंध में कोई अंतर नहीं करता है, सभी को समान रूप से दंडित किया जा सकता है।

च

जी.

37. दंड संहिता के तहत, एक व्यक्ति अपने स्वयं के कार्य के लिए जिम्मेदार है।एक व्यक्ति दूसरों के कार्यों के लिए परोक्ष रूप से भी जिम्मेदार हो सकता है यदि उसका कृत्य करने का एक समान इरादा था या यदि अपराध ए में गैरकानूनी सभा के किसी सदस्य द्वारा किया गया है।

एच.

669

जस्दीप सिंह @जस्सू बनाम पंजाब राज्य [एम. एम. सुंदरेश, जे.] ए.

उस सभा के सामान्य उद्देश्य का अभियोजन, तब भी वह अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हो सकता है।दंड संहिता के तहत, दो धाराएं, अर्थात् धारा 34 और धारा 149, उन परिस्थितियों से निपटती हैं जब कोई व्यक्ति दूसरों के कार्यों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होता है।

38. आई. पी. सी. की धारा 34 के तहत प्रत्यावर्ती या रचनात्मक दायित्व केवल तभी उत्पन्न हो सकता है जब दो शर्तें पूरी हो जाएं अर्थात मानसिक तत्व या किसी अन्य या अन्य के साथ मिलकर आपराधिक कार्य करने का इरादा। और दूसरा अपराध के किसी न किसी रूप में वास्तविक भागीदारी है।

39. सामान्य इरादा एक पूर्व नियोजित योजना के अस्तित्व को स्वीकार करता है जो मन की एक पूर्व बैठक का संकेत देता है। यह अपराध करने का इरादा है और आरोपी को केवल तभी दोषी ठहराया जा सकता है जब सभी अभियुक्तों द्वारा इस तरह के इरादे को साझा किया गया हो।इस तरह का एक सामान्य इरादा अपराध करने के समय के पूर्ववर्ती होना चाहिए, लेकिन जब ऐसा अपराध किया जाता है तो मौके पर भी विकसित हो सकता है।अधिकांश मामलों में इस तरह के इरादे का प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त करना मुश्किल होता है।अधिकांश मामलों में, इसका अनुमान अभियुक्त के कृत्यों या आचरण और अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों से लगाया जा सकता है।इसलिए, आई. पी. सी. की धारा 34 के तहत सामान्य इरादे का अनुमान लगाने में, रिकॉर्ड पर साक्ष्य और दस्तावेज बहुत महत्व रखते हैं और अदालत द्वारा उनकी बहुत सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए।यह उन मामलों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां मूल योजना के निष्पादन के दौरान मूल रूप से परिकल्पित अपराध की तुलना में गंभीर अपराध करने के सामान्य इरादे के विकास के संबंध में साक्ष्य स्पष्ट और ठोस होना चाहिए।

ग

डी.

ई.

40. धारा 34 की प्रमुख विशेषता इरादे और कार्रवाई में भागीदारी का तत्व है।यह भागीदारी सभी मामलों में भौतिक उपस्थिति से नहीं होनी चाहिए।आम इरादे का अर्थ है सामूहिक रूप से कार्य करना।

च

41. आई. पी. सी. की धारा 34 का सार एक विशेष परिणाम लाने के लिए आपराधिक कार्रवाई में भाग लेने वाले व्यक्तियों के मन की एक साथ सर्वसम्मति है।रसेल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रसेल ऑन क्राइम, 12 वीं संस्करण, वॉल्यूम। 1 भविष्य में प्रभाव पैदा करने वाली किसी प्रकार की सहायता या सहायता को इंगित करता है और जोड़ता है कि किसी भी कार्य को अंतिम अपराध को आगे बढ़ाने के लिए किया गया माना जा सकता है यदि यह उस अपराध को प्रभावित करने के उद्देश्य से जानबूझकर उठाया गया कदम है।यह था।

जी.

एच.

रसेल ने कहा कि अपराध के लिए तैयारी का कोई भी कार्य अधिनियम को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है।

42. आई. पी. सी. की धारा 34 कोई विशिष्ट अपराध नहीं करती है, लेकिन यह रचनात्मक दायित्व के सिद्धांत को निर्धारित करती है।आई. पी. सी. की धारा 34 में कहा गया है कि यह कार्य सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया गया होगा।किसी अपराध के लिए संयुक्त दायित्व वहन करने के लिए वास्तव में किए गए कार्य को करने के लिए अभियुक्त व्यक्तियों के बीच एक पूर्व नियोजित और पूर्व नियोजित समन्वय होना चाहिए, हालांकि कार्य और पूर्व-चिंतन के बीच लंबा अंतराल नहीं हो सकता है और हालांकि योजना अचानक बनाई जा सकती है।आई. पी. सी. की धारा 34 के लागू होने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि यह कार्य किसी विशेष या किसी निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया गया था।वास्तव में, इस धारा का उद्देश्य एक ऐसे मामले को शामिल करना है जिसमें कई व्यक्ति एक साथ काम करते हैं और मामले के तथ्यों पर अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना संभव नहीं है कि जिन व्यक्तियों ने एक साथ काम किया उनमें से किस ने वास्तव में अपराध किया था।किसी विशेष धारा के तहत अपराध के लिए आरोप और धारा 34 के साथ पठित उस धारा के तहत आरोप के बीच बहुत कम या कोई अंतर नहीं है।"

डी.

योग्यता के आधार पर

31. आई. पी. सी. की धारा 34 को समझने के बाद, अब हम मामले पर विचार करेंगे।

ई.

32. पी. डब्ल्यू. 13 के साक्ष्य को अदालतों का समर्थन नहीं मिला।निचली अदालत, जिसे गवाहों के बयान पर ध्यान देने का लाभ मिला था, ने ठोस कारण बताते हुए प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विश्वास नहीं करने का फैसला किया।इस साक्ष्य को निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने भी सही ढंग से दरकिनार कर दिया था।पीडब्लू13 की गवाही में बहुत सारी असंभवताएँ हैं।50 किलोमीटर दूर रहने वाले एक व्यक्ति को आरोपी और उनके नाम याद आए और उसने हत्या करने की उनकी साजिश सुनी। उनके साक्ष्य को डी. डब्ल्यू. 1 के साक्ष्य द्वारा गलत साबित किया गया था, जो कोई और नहीं बल्कि उनके अपने चचेरे भाई थे, जिनके साथ वे प्रासंगिक समय पर रह रहे थे।

च

जी.

33. अन्य भौतिक गवाह पी. डब्ल्यू. 6 और पी. डब्ल्यू. 10 हैं।पीडब्लू10 ने पहले बयान दिए थे।यद्यपि मृतक का मित्र होने के बावजूद वह मुकर गया, लेकिन निचली अदालत ने उसके पहले के बयान को ध्यान में रखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई पूर्वकल्पना नहीं थी और इस प्रकार मामला हत्या के बजाय गैर इरादतन हत्या के तहत आएगा।हालांकि पीडब्लू6 के साक्ष्य को खारिज नहीं किया गया था, दोनों अदालतों ने एक स्पष्ट ए पाया

एच.

671

जस्दीप सिंह @जस्सू बनाम पंजाब राज्य [एम. एम. सुंदरेश, जे.] ए.

उसकी ओर से अतिशयोक्ति।कई मौकों पर पीडब्लू6 ने अभियोजन के मामले में सुधार के लिए एक ठोस प्रयास किया।मृत्यु घोषणा पर उनके द्वारा दी गई गवाही, जो उनके द्वारा अपने पूरक बयान में डाला गया एक मामला था, जिसे बाद में अदालतों द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया था।इसका समर्थन चिकित्सा साक्ष्य द्वारा भी किया गया था।लड़ाई के संबंध में सबूत के दूसरे हिस्से को भी अदालतों द्वारा निपटाया गया था क्योंकि उपलब्ध सबूत से पता चलता है कि यह मृतक ही था जो करीब गया था, और आरोपी खुद को उसके आने की प्रतीक्षा में खड़ा नहीं कर रहे थे।इसलिए, दोनों अदालतों के उपरोक्त निष्कर्ष इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कि यह ऐसा मामला नहीं है जो आई. पी. सी. की धारा 301 भाग I के तहत सजा को आकर्षित करेगा, किसी भी विकृति से ग्रस्त नहीं है।उपरोक्त सी. आर. एल. को देखते हुए। 2021 का ए. No.1586 खारिज कर दिया गया है। इस स्तर पर हम यह भी जोड़ना चाहते हैं कि ए 2 का स्पष्ट कार्य अलग है और उसके द्वारा दायर किसी भी अपील के अभाव में, हम उसे बरी करने के उद्देश्य से कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं।

ग

34. विचार के लिए एकमात्र अन्य मुद्दा अपीलार्थियों के मामले में आई. पी. सी. की धारा 34 का आवेदन है।यह घटना रात के समय हुई थी।यह सड़क पर हुआ।यदि ए 3 और ए 4 ने एक ही आवाज में ऐसा बयान दिया था, तो उन्हें ए 1 के बजाय ए 2 को संबोधित करना चाहिए था।A2 के पास पहले से ही एक बंदूक थी और कहा जाता था कि A1 ने केवल A3 और A4 द्वारा दिए गए बयान पर अपनी बंदूक निकाल ली थी।पी. डब्ल्यू. 6 के साक्ष्य पर अविश्वास करने में निचली अदालत के तर्क को, जैसा कि उसने बाद में अपने मामले में सुधार किया, इस बयान के लिए लागू किया जाना चाहिए कि ए 3 और ए 4 ने ए 1 को गोली चलाने के लिए कहा था।मान लीजिए, यह पहले दिए गए बयान में सुधार था जैसा कि एक से अधिक अवसरों पर पीडब्लू6 के साक्ष्य से देखा जा सकता है।इस प्रकार, हमारे सुविचारित विचार में दोनों न्यायालयों को आई. पी. सी. की धारा 34 के संबंध में पी. डब्ल्यू. 6 के साक्ष्य पर अविश्वास करना चाहिए था।रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ए 3 और ए 4 को इस तथ्य के बारे में पता था कि ए 1 के पास बंदूक थी।अभियोजन पक्ष मुख्य रूप से पीडब्लू 13 के साक्ष्य पर ए 3 और ए 4 को फंसाना चाहता था।

एक बार जब उक्त साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया गया, तो आई. पी. सी. की धारा 34 के तहत ए 3 और ए 4 को दोषी ठहराने से पहले अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए थी। हमें यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि घटना के समय एक सामान्य इरादा बनाया जा सकता है।तथापि, उपलब्ध साक्ष्य यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि ए 3 और ए 4 के विरुद्ध आई. पी. सी. की धारा 34 आकर्षित करती है, विशेष रूप से जब पी. डब्ल्यू. 13 की गवाही को अदालतों का समर्थन नहीं मिला।हम आगे ध्यान देते हैं कि ए 3 और ए 4 द्वारा दिए गए बयान के अलावा, उन्हें फंसाने के लिए कोई अन्य सामग्री नहीं थी।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

672

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 2 एस सी आर।

35. अब, हम बयानों पर आते हैं।ए 3 और ए 4 द्वारा दिया गया कथन इस प्रकार है:"अब आप क्या देख रहे हैं? "सवाल यह है कि क्या उक्त बयान आई. पी. सी. की धारा 304 भाग I के तहत दंडनीय अपराध होगा। हम पहले ही इस तथ्य पर ध्यान दे चुके हैं कि ए 2 ने ए 3 और ए 4 द्वारा दिए गए बयान के अनुसरण में मृतक पर गोली चलाई होती तो स्थिति अलग होती।यह संभव है कि उक्त बयान केवल मृतक पर हमला करने के लिए दिया गया हो।यह अभिनिर्धारित करना पर्याप्त है कि अभियोजन पक्ष ने आई. पी. सी. की धारा 34 के तहत ए 1 द्वारा किए गए अपराध को दर्शाते हुए ए 3 और ए 4 के खिलाफ अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित नहीं किया है।

36. उच्च न्यायालय ने ए 3 और ए 4 के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 34 के आयात पर भी विचार नहीं किया।हम पाते हैं कि हमारी चर्चा के आलोक में निचली अदालत के दृष्टिकोण को उस हद तक कायम नहीं रखा जा सकता है।इस प्रकार, हम उच्च न्यायालय के उस फैसले को दरकिनार करने के लिए इच्छुक हैं जो यह पुष्टि करता है कि केवल ए 3 और ए 4 नाम के अभियुक्त-अपीलार्थियों के खिलाफ निचली अदालत का संबंध है।

ग

डी.

37. परिणाम में सी. आर. एल. ए. 2021 का No.1584 और सीआरएल। A. 2021 के No.1585 की अनुमति है।सी. आर. एल. 2021 का ए. No.1586 खारिज कर दिया गया है।

अंकित ज्ञान

अपीलों का निपटारा किया गया।

(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)

ई.

च

जी.

एच.